UPST010049902026

न्यायालय–अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, न्या. संख्या–03 जनपद सुलतानपुर।

उपस्थितः अमित सिंह–I, उच्चतर न्यायिक सेवा।

(जे.ओ. कोड– यू.पी. 6254)

द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1525/2026

आशीष कुमार बंसल सुत गामा,
निवासी नवीपुर राहुल चौराहा, थाना कोतवाली नगर, जिला सुलतानपुर।

----------**अभियुक्त**

बनाम

राज्य----------**विपक्षी/अभियोगी**

एस.टी. नं.–1308/2025,
मुकदमा अपराध संख्या–1097/2023,
धारा–380, 411, 413, 457 भा०दं०सं०,
थाना–कोतवाली नगर, जिला–सुलतानपुर।

दिनांक–26.05.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **आशीष कुमार बंसल** की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उपरोक्त अपराध में प्रार्थी की जमानत दिनांक–23/12/2023 को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय सुलतानपुर के यहां से धारा 380, 411, 457 भा.दं.सं. में स्वीकृत हुई थी। प्रार्थी जमानत पर छूटने के बाद न्यायालय में प्रार्थी प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित आता था। प्रार्थी के तिथि पर अस्वस्थ होने के कारण न्यायालय में उपस्थित न आने पर उक्त न्यायालय द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध एन.बी.डब्लू. जारी हो गया था। प्रार्थी को एन.बी.डब्लू. पर गिरफ्तार कर विचाराधीन न्यायालय द्वारा जिला कारागार में निरुद्ध कर दिया गया था। प्रार्थी को जानकारी हुई कि प्रार्थी के विरुद्ध धारा 413 भा.दं.सं. के अर्न्तगत भी विचारण हो रहा है जबकि पत्रावली में प्रार्थी के विरुद्ध धारा 413 भा.दं.सं. का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी धारा 380, 411, 457 के अतिरिक्त धारा 413 भा.दं.सं. के अन्तर्गत भी जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी धारा 413 भा.दं.सं. में जमानत मुचलका देने को तैयार है। न्यायालय में प्रार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र विरचित होने के पश्चात साक्ष्य में तिथि नियत हुई। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है, प्रार्थी के अलावा और कोई व्यक्ति भरण–पोषण करने वाला और कोई नहीं है, न्यायालय में साक्षी भी उपस्थित नहीं आते थे। प्रार्थी पूर्व अधिवक्ता से अपनी मजबूरी बताया तो बताये कि तिथि पर तुम मत आना, न्यायालय में हाजिरी माफी दे देंगे। साक्षी जब आयेगा तब उससे जिरह भी कर लेंगे। प्रार्थी अधिवक्ता के बताने के अनुसार फीस भी देता रहा। प्रार्थी यह जानता था कि मुकदमे में पूर्व अधिवक्ता उपस्थित होकर हाजिरी माफी दे रहे, जब अधिवक्ता बुलायेगें तब उपस्थित होंगे, इसी विश्वास पर प्रार्थी प्रदेश में रहकर मजदूरी कर बच्चों का पालन–पोषण करता था। प्रार्थी/अभियुक्त की पत्रावली तलब होकर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष

सं. 03 जनपद सुल्तानपुर में आयी, जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं हो पायी, जिसके कारण प्रार्थी के विरुद्ध दिनांक–23/09/2025 को एन.बी.डब्लू. जारी हो गया। दिनांक–30/03/2026 को प्रार्थी घर पर था, थाना स्थानीय की पुलिस प्रार्थी को घर से पकड़ कर ले आयी, तब प्रार्थी को न्यायालय आने पर पता चला कि पूर्व अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी के मुकदमे में प्रार्थी की हाजिरी माफी नहीं दिया, इस कारण उसके विरुद्ध एन.बी.डब्लू. जारी हो गया, तब से प्रार्थी जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी का पाँच मुकदमा विचाराधीन है। प्रार्थी कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में न दिया है न ही माननीय उच्च न्यायालय इलहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में न तो दिया गया है न ही निस्तारित किया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को उचित जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

3. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

4. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रस्तुत मामले में अभियुक्त है तथा उक्त मुकदमें में अभियुक्त की जमानत पूर्व में दिनांक 23.12.2023 को न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है किन्तु मुकदमें में नियत तिथि को न्यायालय उपस्थित न आने के कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी कर दिया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानतीय वारण्ट के निष्पादन में उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा दिनांक 10.04.2026 को अभियुक्त का वारण्ट बनाकर जिला कारागार सुलतानपुर भेजा गया। उपर्युक्त मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाने का आधार पर्याप्त है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **आशीष कुमार बंसल** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा **अंकन 50,000/– (पचास हजार रुपये)** का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा उसी धनराशि की दो प्रतिभू व इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है कि वह भविष्य में प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा तथा मुकदमें के निस्तारण में सहयोग करेगा।

sd/–

(अमित सिंह–I)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, सुलतानपुर।
(जे.ओ. कोड– यू.पी. 6254)

दिनांक–26.05.2026
दिनेश कुमार (आशुलिपिक)